भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 17

Phone □□: 2661263,2737446 **Fax**: 2661263 **Website**:bsgmp.net **E_mail**:bsgmadhyapradesh@gmail.com

क्र0/8153/रा0मु0/गतिविधि/2014 भोपाल, दिनांक 22/5/14

प्रति,

समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का.गा.)
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
संभागीय कार्यालय ....म.प्र.

समस्त जिला संगठक स्काउट–गाइड
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
जिला संघ..................................म.प्र.

विषयः– गोल्डन ऐरो अवार्ड के संबंध में।

सन्दर्भ :– राष्ट्रीय मुख्यालय का पत्र क्रमांक 20 दिनांक 03.04.14

–––000–––

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा सत्र 2014–15 हेतु गोल्डन ऐरो अवार्ड के आवेदन दिनांक 30 सितम्बर–2014 तक चाहे गये है। आपके संभाग/जिले के अंतर्गत ऐसे कब–बुलबुल जो गोल्डन ऐरो अवार्ड हेतु पात्रता रखते हो की सूची ई–मेल एवं फैक्स द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करे ताकि सूची के आधार पर गोल्डन ऐरो के आवेदन फार्म आपकी ओर प्रेषित किये जा सके। गोल्डन ऐरो अवार्ड से संबंधित दिशा–निर्देश संलग्न पत्र के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्न :– दिशा–निर्देश

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

–: कब–बुलबुल गोल्डन ऐरो हेतु निर्देशिका :–

1. यूनिट का चार्टर नम्बर होना आवश्यक है एवं चार्टर का प्रतिवर्ष नवीनीकरण अनिवार्य है ।
2. कब मास्टर / फ्लाकलीडर कम से कम एडवांस कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त हो एवं वैद्य वारंटधारी हो एवं वारंट नवीनीकरण हो को गोल्डन ऐरो कब–बुलबुल तैयार कर सकेगें ।
3. प्रतिभागी जिस विद्यालय में अध्ययनरत् हो वहॉ के संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित जन्मतिथि प्रमाण–पत्र आवश्यक है ।
4. ए0पी0आर0ओ0भाग–2/3 के अनुसार दीक्षा की तिथी होना आवश्यक है ।
5. दल में प्रवेश तिथी, प्रवेश पूर्ण, प्रथम चरण/कोमल, द्वितीय चरण/रजतपंख, तृतीय चरण /स्वर्णपंख, चतुर्थचरण/हीरकपंख का विकासात्मक प्रशिक्षण ए0पी0आर0ओ0भाग–2/3 के अनुसार होना चाहिये ।
6. चतुर्थचरण/हीरकपंख पूर्ण करने की तिथी राज्य मुख्यालय द्वारा आयोजित जांच शिविर की अंतिम तिथी होना चाहिये ।
7. सभी दक्षता पदक की जांच स्वतंत्र बैज परीक्षकों द्वारा जो कि जिला बैज समिति द्वारा नियुक्त किये गये हो के द्वारा ली जानी चाहिये एवं उनका विवरण संलग्न पंजीयन फार्म में देवें । यूनिट लीडर स्वयं की यूनिट के लिये स्वंतत्र बैज परीक्षक नहीं होगें ।
8. द्वितीय चरण/रजतपंख पूर्ण होने के बाद ही तृतीयचरण/स्वर्णपंख पूर्ण होना चाहिये ।
9. ऐसे कब–बुलबुल जिन्होने कु 06 दक्षता पदक प्राप्त किये हो जो कि प्रत्येक ग्रुप से 01 दक्षता पदक प्राप्त कर लिया हो, वे ही चतुर्थचरण/हीरकपंख के लिये योग्य होगें ।
10. राज्य मुख्यालय द्वारा आयोजित पुनः जांच जो कि राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया हो जिसमें समस्त जांच कला कौशल चतुर्थचरण/हीरकपंख ए0पी0आर0ओ0भाग–2/3 के अनुसार जांची गई हो ।
11. ऐसे कब–बुलबुल जिन्होने 7 वर्ष पूर्ण कर लिये हो पंजीयन फार्म भरते समय 10 वर्ष पूर्ण न हुये हो वे ही योग्य होगें ।
12. राज्य/जिला मुख्यालय के अधिकारियों के हस्ताक्षर पुनः रूप से किये गये हो ।
13. एडवांस कब मास्टर/फ्लाक लीडर अधिकतम 6 आवेदन फार्म अनुशांसति कर सकेगा।
14. रैली के समय कब–बुलबुल अपना प्रगति पत्रक साथ लायें ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट/गाइड म.प्र.

E:\Activity_Gatividi\ACTI-G2014-2015\activiti scout.docx/sahu-21